(1)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशा0 सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1176–तीन/2014, विरूद्ध आदेश दिनांक 03–02–2014 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा प्रकरण कमांक 1091/अ–6/2008–09.

———

राजू अहिरवार तनय बुदिया अहिरवार
निवासी–ग्राम कदारी तहसील व
जिला–छतरपुर, म0प्र0 ..... आवेदक

विरूद्ध

1– कृष्ण बिहारी तनय जयराम यादव
2– शीतल प्रसाद तनय जयराम यादव,
3– विनोद तनय रामेश्वर
4– देवेन्द्र सिंह तनय रणविजय सिंह
5– महेन्द्र सिंह तनय रणविजय सिंह
6– सुरेन्द्र सिंह तनय रणविजय सिंह
समस्त निवासीगण नरसिंहगण पुरवा
छतरपुर तह0 व जिला छतरपुर
7– शासन म0प्र0 ..... अनावेदकगण

.....

श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक

श्री लोकेश श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 3/12/14 को पारित)

.....

यह निगरानी आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03–02–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, ग्राम कदारी की भूमि खसरा नं0 1263 किता एवं रकवा 03.104 है0 में से 2.00 है0 का व्यवस्थापन प्रकरण क्रमांक 193/अ–19/82–83 में नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 06.07.1983 को आवेदक के पिता बुदिया को किया गया है । आवेदक द्वारा विचारण न्यायालय में दिनांक 14.03.2007 को आवेदन प्रस्तुत किया गया कि शासन से प्राप्त उक्त भूमि का विक्रय बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के किया गया है तथा दिनांक 14.07.1988 को नामांतरण भी करा लिया है, जो संहिता की धारा 165 (7बी) का उल्लंघन है । इसकी जानकारी आवेदक को पिता की मृत्यु के पश्चात् हुई आवेदक ने जानकारी दिनांक से उक्त अभिलख सुधार हेतु अनुरोध किया गया । तहसीलदार द्वारा उक्त प्रकरण 32/अ–6/06–07 दर्ज कर पुर्नविलोकन हेतु अनुविभागीय अधिकारी से अनुमति लेकर पारित आदेश दिनांक18.12.2007 से अनावेदकगण का नामांतरण निरस्त कर वादग्रस्त भूमि पर यथावत आवेदक के पिता का नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया गया । उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण ने अपर कलेक्टर छतरपुर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की जो प्रकरण क्रमांक 366/अ–6/2007–08 में दर्ज होकर आदेश दिनांक 22.08.2009 द्वारा आंशिक रूप में स्वीकार कर ली गई । उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अनावेदकगण द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की जो उन्होंने आदेश दिनांक 03.02.2014 द्वारा स्वीकार की गई । अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.02.2014 से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्को में यह बताया है कि, अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया है कि आवेदक के पिता बुदिया को उक्त भूमि व्यवस्थापन में प्रकरण क्रं0 193/अ–19/82–83 में पारित आदेश दिनांक 06.07.1983 को म0प्र0 शासन से प्राप्त हुई थी तथा शासन का सुस्थापित सिद्धांत है कि संहिता की धारा 158 की उपधारा (3) में स्पष्ट उल्लेख है कि बंटन में प्राप्त भूमि का विक्रय जिलाध्यक्ष की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता है । जबकि इस प्रकरण में प्रश्नाधीन भूमि बिना कलेक्टर की अनुमति के फर्जी तरीके से मात्र 5 वर्ष बाद ही दिनांक 31.05.88 को क्रय कर ली गई थी । शासन के नियमों का अनदेखा कर अपर आयुक्त सागर ने आदेश पारित किया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया कि अपर कलेक्टर

छतरपुर ने उक्त निगरानी प्रकरण क्र0 366/अ–6/07–08 पारित आदेश दिनांक 22.08.2009 में पारित आदेश को धारा 165(7) ख के तहत कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में 10 दिवस के अंदर प्रस्तुत कर प्रत्यावर्तित किया था । आवेदक के अधिवक्ता ने यह भी बताया है कि उक्त प्रकरण में संहिता की धारा 165 (7) ख लागू होती है । अंत में आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.02.14 एवं नामांतरण पंजी दिनांक 14.07.88 निरस्त करने तथा तहसीलदार छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.12.2007 स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/ अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्को में यह बताया है कि, आवेदक राजू द्वारा विचारण न्यायालय में संहिता की धारा 115, 116 एवं 32 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर राजस्व अभिलेख संशोधन की प्रार्थना की थी जिसे ग्राह्य करने की उन्हें अधिकारिता नहीं थी । विचारण न्यायालय ने उक्त आवेदन पर बिना किसी याचना के पुनरावलोकन की अनुमति चाही जो बिना अनावेदकों को सुनवाई का अवसर दिए एस.डी.ओ. द्वारा दी गई है । कलेक्टर न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों व विधि प्रावधान को अनदेखा कर संहिता की धारा 165 (7) (ख) का प्रतिवेदन पेश करने का आदेश देने में विधि की त्रुटि की थी जिसे निरस्त कर अपर आयुक्त ने वैधानिक आदेश पारित किया है जो यथावत रखे जाने योग्य है । कलेक्टर न्यायालय के समक्ष मात्र यह प्रश्न विनिश्चय हेतु था कि विचारण न्यायालय का रिव्यु की अनुमति का प्रतिवेदन एवं अनुविभागीय अधिकारी, छतरपुर का रिव्यु का आदेश अवैध है, तथा आवेदन राजू का प्रार्थना पत्र विचारण न्यायालय के समक्ष अवधि बाह्य तथा क्षेत्राधिकार बाह्य सहायता हेतु होने से निरस्त योग्य है किन्तु उक्त तथ्यों को अनदेखा कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण प्रत्यावर्तित कर संहिता की धारा 165 (7)(ख) के अन्तर्गत प्रतिवेदन 10 दिवस में प्रस्तुत करने का आदेश पारित करने में भूल की है । अनावेदकगण अभिभाषक द्वारा यह भी बताया गया है कि न्यायालय नायब तहसीलदार सर्विल वखाड़ी में आवेदक के पिता बुदिया तनय गडुआ को राजस्व प्रकरण क्रमांक 193/अ–19/1982–83 में पारित आदेश दिनांक 06/7/1983 को विधिवत प्रीमियम राशि लेकर भूमिस्वामी स्वत्व पर भूमि प्रदाय की गयी थी जिसका प्रीमियम आवेदक के पिता द्वारा अदा किया था, ऐसी स्थिति में उक्त भूमि धारा 165 (7)(ख) के अन्तर्गत कलेक्टर, छतरपुर को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की

आज्ञा प्रदान की गयी है, वह निरस्त किये जाने योग्य था । अंत में अनावेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत बताते हुए उसे यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया है ।

5– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों का परिशीलन किया । इस प्रकरण में यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि का व्यवस्थापन आवेदक के पिता को दिनांक 6–7–83 को किया गया है । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपर कलेक्टर ने अनावेदकों द्वारा प्रस्तुत निगरानी में यह पाया है कि तहसीलदार के अनुरोध पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पुनरावलोकन की अनुमति देते समय दूसरे पक्ष को नहीं सुना गया और प्रकरण वापिस आने पर एकपक्षीय आदेश तहसीलदार द्वारा किया गया । उन्होंने यह भी पाया कि संहिता की धारा 165(7) (ख) के तहत पुनरावलोकन की अनुमति देने हेतु अनुविभागीय अधिकारी सक्षम नहीं थे क्योंकि इस धारा के तहत शक्तियां कलेक्टर को प्राप्त हैं । इस कारण अपर कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी द्वारा रिव्यू की अनुमति दिए जाने संबंधी आदेश एवं विचारण न्यायालय के आदेश को विधिसम्मत न मानते हुए निरस्त किया । साथ ही उन्होंने अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि वे इस प्रकरण में संहिता की धारा 165(7) (ख) के तहत कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन कलेक्टर, छतरपुर के न्यायालय में 10 दिवसों में प्रस्तुत करें । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अपर कलेक्टर का आदेश न्यायिक एवं विधिसम्मत है क्योंकि प्रश्नाधीन भूमि का अंतरण विधिवत तरीके से सक्षम अधिकारी की अनुमति से हुआ है इसका कोई प्रमाण अनावेदकों द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है ।

6– जहां तक अपर आयुक्त के आदेश का प्रश्न है उसमें अपर आयुक्त ने अपर कलेक्टर का आदेश क्योंकर विधिसम्मत नहीं है इसके संबंध में कोई विचार न करते हुए विचारण न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण के तथ्यों का उल्लेख करते हुए आदेश पारित किया है । अपर आयुक्त ने इस मूलभूत स्थिति को अनदेखा किया है कि प्रश्नाधीन भूमि का व्यवस्थापन दिनांक 6–7–83 को आवेदक के पिता मृतक बुदिया को किया गया है । पट्टे/व्यवस्थापन में प्राप्त शासकीय भूमि का अंतरण संहिता की धारा 165(7) (ख) के तहत बिना जिलाध्यक्ष की अनुमति के नहीं किया जा सकता है । इस संबंध में न्यायदृष्टांत 2002

आर0एन0 250 उच्च न्यायालय अवलोकनीय है । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अपर आयुक्त जो आदेश है वह न्यायिक, विधिसम्मत एवं औचित्यपूर्ण न होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित आलोच्य आदेश निरस्त किया जाता है एवं अपर कलेक्टर का आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(मनोज गोयल,)
प्रशा0 सदस्य,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर